



माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

कार्यालय आदेश

क्रमांक :- परीक्षा-II/पात्रता प्रकोष्ठ/2366

दिनांक...18-05-12

बोर्ड अधिवेशन 02 मई 2012 में एवं माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी पात्रता प्रमाण पत्र कक्षा 11 व 12 के लिए निम्नांकित दरें स्वीकृत की गई हैं जो तुरन्त प्रभाव से लागू होगी :-


क्र. सं.	कक्षा-11	शुल्क रुपये
1.	30 नवम्बर तक सामान्य शुल्क	100
2.	30 नवम्बर के पश्चात् विलम्ब शुल्क रुपये 200 सहित कुल रुपये 300	300

5
Ximms
19/5/12

क्र. सं.	कक्षा-12	शुल्क रुपये
1.	सामान्य परीक्षा शुल्क से आवेदन पत्र भरने की तिथि तक	100
2.	दोगुने पर परीक्षा शुल्क से आवेदन पत्र भरने की तिथि तक	200
3.	असाधारण परीक्षा शुल्क से आवेदन पत्र भरने की तिथि तक	300
4.	विशेष परिस्थिति में यदि उपरोक्त तिथि के पश्चात् जारी किया जाता है तो	500


विशेष :- 1. बिना पात्रता प्रमाण पत्र के प्रवेश देने वाले विद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र शुल्क के साथ प्रति विधार्थी रुपये 1000 दण्ड राशि भी ली जायेंगी।

2. ऐसे विधार्थी जिसने कक्षा XI में पात्रता प्रमाण पत्र नहीं लिया व कक्षा XI उत्तीर्ण कर अन्य विद्यालय में कक्षा XII में प्रवेश चाहता है, अन्य विद्यालय उसे बिना पात्रता प्रमाण पत्र के प्रवेश न दे तथा ऐसी स्थिति में स्वयं विधार्थी कक्षा XII हेतु पात्रता प्रमाण पत्र लेने आवे तो रु. 1000/- दण्ड राशि परीक्षार्थी से लिया जाना प्रस्तावित है।


(एम.आर.शर्मा)
सचिव

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- | | |
|--|--|
| 1. विशेषाधिकारी (परीक्षा) | मा. शि. बोर्ड |
| 2. वित्तीय सलहाकार | मा. शि. बोर्ड |
| 3. उप सचिव | मा. शि. बोर्ड |
| 4. निदेशक-परीक्षा | मा. शि. बोर्ड |
| 5. निदेशक (प्रकाशन) | मा. शि. बोर्ड |
| 6. निदेशक-(शैक्षिक) | मा. शि. बोर्ड |
| 7. उप निदेशक (गोपनीय) | मा. शि. बोर्ड |
| 8. उपनिदेशक (लेखा) | मा. शि. बोर्ड |
| 9. उपनिदेशक (परीक्षा) | मा. शि. बोर्ड |
| 10. उपनिदेशक (परीक्षा-॥) | मा. शि. बोर्ड |
| 11. ए.सी.पी. (आई.टी.एंड सी. सैल) | मा. शि. बोर्ड की वेब साईट पर प्रदर्शित करने हेतु। |
| 12. अधिशाषी अभि. | मा. शि. बोर्ड |
| 13. उपनिदेशक संभाग -अजमेर, कोटा, चुरू, बीकानेर, भरतपुर, जोधपुर, उदयपुर | |
| 14. वरिष्ठ सहायक निदेशक (शैक्षिक) | मा. शि. बोर्ड |
| 15. वरिष्ठ सहायक निदेशक (विधि) | मा. शि. बोर्ड |
| 16. सहायक निदेशक (समिति) | मा. शि. बोर्ड |
| 17. सहायक निदेशक (मान्यता) | मा. शि. बोर्ड |
| 18. सहायक निदेशक (जनसम्पर्क) | मा. शि. बोर्ड को राज्य के सभी प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी करने हेतु। |
| 19. निजी सचिव माननीय अध्यक्ष महोदय | मा. शि. बोर्ड |
| 20. निजी सहा. (सचिव) | मा. शि. बोर्ड |
| 21. समस्त अनुभाग अधिकारी | मा. शि. बोर्ड |


(एम.आर.शर्मा)
सचिव